जातीनं क्रमांक 4400/2012

न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर म. प्र.

प्रकरण क्रमांक / 12

R 4400 - I/12

श्री राम सेवक शर्मा, अधि.
द्वारा आज दि. 27-12-12 को
प्रस्तुत
27-12-12
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

रामसेवक शर्मा
6-12-12

राजेन्द्र सिंह पुत्र प्रयाग सिंह , उम्र 46 वर्ष
धन्धा प्रायवेट सेवा , निवासी ग्राम खेरियातोड
मेहगांव तहसील मेहगांव जिला भिण्ड म. प्र.

--- आवेदक

विरूद्ध

सतीश सिंह पुत्र जगदीश सिंह जादौन
उम्र 30 वर्ष , धन्धा - प्रायवेट सेवा ,
निवासी ग्राम खेरियातोड , हाल दिल्ली जरिये
रणवीर सिंह जादौन (धाकरे) पुत्र पारतसिंह
निवासी खेरियातोड मेहगांव जिला भिण्ड म.प्र.

---- अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 का नये संशोधन अधिनियम 2011 म.प्र.भू.रा.स. 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 15.12.12 प्रकरण क्रमांक 13/12/13 /अ-12 द्वारा पारित न्यायालय तहसील मेहगांव सतीश विरूद्ध राजेन्द्र के निर्णय से दुखी होकर ।

श्रीमान जी,

निगरानीकर्ता की निगरानी तथ्यो एवं आधारो पर प्रस्तुत है:-

1. यह कि, अनावेदक द्वारा सर्वे नम्बर 36 रकबा 0.136 स्थित ग्राम खेरियातोड मेहगांव का सीमांकन किये जाने हेतु आवेदन तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया सीमांकन की कार्यवाही मौजा पटवारी व राजस्व निरीक्षक द्वारा अपने घर के कार्यालय पर ही

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4400-एक/12 **जिला** - भिण्ड

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रामसेवक शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य** (3)	